

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2017/00388

अज अदालत उपखण्ड अधिनियम मुकाम नीमनाधाना

..... तहसील पर नीमनाधाना बनाम प्रकाश चन्द

किस्म मुकदमा प्रा.प.उ. 136 Cr.P.C. नं. 385 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/9/17	<p>आज शर्मा पत्र बाबत रिपोर्ट दुदली भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 Cr.P.C. के तहत रिपोर्ट पत्रवारी हल्का मंडोली तथा तहसील पर नीमनाधाना डि रिपोर्ट होकर पेश हुआ। शर्मा उप.प.उ. शर्मा को चुना गया। शर्मा ने बताया कि मेरा लकी नाम प्रकाश चन्द शर्मा है परन्तु राजस्व रिपोर्ट में गलती से मेरा नाम प्रकाशचन्द शर्मा के लियान पर डोम प्रकाश दर्ज कर दिया गया। जिस बाबत प्रमाण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की मार्केटींग मूल्य निवाल प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड मैंने पेश किये हैं जो शर्मा पत्र के तहत हैं। शर्मा को चुने के पश्चात रिपोर्ट पत्रवारी हल्का तहसील पर नीमनाधाना का कार्यवाही किया गया। रिपोर्ट में शर्मा का नाम डोम प्रकाश की जगह प्रकाशचन्द शर्मा इसलिये किया जाना उचित बताया है एवं शर्मा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मूल निवाल प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्केटींग इन सभी में शर्मा का नाम प्रकाशचन्द शर्मा ही दर्ज है इस कारण पर शर्मा का शर्मा पत्र रिपोर्ट दुदली का होना पाया जाता है जिसे स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के कारण पर शर्मा का शर्मा पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 Cr.P.C. के तहत पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसील पर नीमनाधाना को अदेश</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीमनाधाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में ज
---------------	-----------------------------------	--

दिया जाता है कि राजलक्ष्मण चन्द्र मंडोली
 के खाता सं 128 की जमाबंदी सं 2070-2073
 में दर्ज लालदार श्रीमप्रकाश के लघान पर
 प्रकाश चन्द्र दर्ज कर राजलक्ष्मण रिकार्ड में
 डूल्ही कोट। नवाडुडार राजलक्ष्मण रिकार्ड में
 दुम्ली डेव लक्ष्मीनदार नीमनाचारा कोठरीर
 जाती की जावे। सवावली डेवल युगार बोम्भ
 जम्बर ले कम लोक दालिद दफ्तर है।

(जगदीश उजाड गौड)
 उपस्थित अधिकारी
 नाम का थागा (सीकर)